Seventeenth Loksabha

pan>

Title Regarding increased access of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) machines and grant of financial assistance to victims died due to heart disease in the country.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : महोदय, हृदय रोग (सीवीडी) पिछले दो दशकों में भारत में तेजी से प्रचलित हो गया है, जिससे हमारा देश इस तरह की बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। पिछले दो दशकों में देश में ऐसी बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या में 68 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और इनमें से 25 प्रतिशत लोग 40 वर्ष से कम आयु के थे। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल देश में 25-69 आयु वर्ग में कुल मौतों में से 24.8. प्रतिशत लोगों की मृत्यु हृदय रोगों के कारण होती है, जो किसी भी अन्य बीमारी या स्थिति की तुलना में कहीं अधिक है। वर्ष 2019 में भारत में लगभग 2.5 मिलियन मौतों का श्रेय सीवीडी को दिया गया। इस वर्ष यह अधिक चिंताजनक विषय बन गया है। पिछले तीन महीनों में दिल के दौरे से संबंधित केसों में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 56 प्रतिशत परामर्श 30-39 वर्ष के आयु वर्ग से आए, जिनमें से 75 प्रतिशत पुरुष और 25 प्रतिशत महिलाएं थी, हृदय रोग विशेषज्ञों से परामर्श करने वाले 8 प्रतिशत रोगियों के अतीत में COVID-19 से संक्रमित होने की संभावना थी।

अमेरिका में किए गए एक अध्ययन ने दिखाया कि COVID-19 का हल्का मामला भी किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद कम से कम एक साल के लिए हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। ये परिणाम COVID-19 के अप्रत्यक्ष बोझ को उजागर करते हैं, जिसे आने वाले लंबे समय तक दुनिया भर के लोगों को उठाना पड़ सकता है।

मेडिकल एक्स्पर्ट्स का मानना है कि कई रोगियों को अक्सर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) के साथ पुनर्जीवित किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि इसके बारे में सामान्य जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण की सुविधा कराई जाए और ऐसे मंत्रो को सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाए और साथ साथ हृदय रोग से मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाए।